अति आवश्यक/महत्वपूर्ण/

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा

पत्रांक– मु0चि0अ0/एन0एच0एम0/क्वा0एश्यो0/बैठक/2016/ [illegible]   दिनांक 01.08.2016

जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की बैठक

आज दिनांक 23.07.2016 को जिला स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं लिये गये निर्णय निम्नवत् है–

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा। –अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा –संयोजक
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चि0/जिला महिला चि0 – सदस्य
4. अधीक्षक/प्रभारी, सामु0/प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (बारी से) – सदस्य
5. जनपद स्तरीय चिकित्सालय के एक–एक स्त्री रोग विशेषज्ञ
शल्य चिकित्सक, एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन एवं बाल रोग विशेषज्ञ –सदस्य
6. एक प्रतिनिधि एक्रीडिटेड प्राइवेट नर्सिंग होम/ स्वैच्छिक संस्था (हैल्थ केयर) के प्रतिनिधि
(क) प्रबन्धक, बी0एल0 तिवारी मैमोरियल हास्पिटल, सदर बाजार रोड मथुरा –सदस्य
(ख) पोपुलेशन सर्विसेज इन्टरनेशनल (पी0एस0आई0) –सदस्य
(ग) जननी संस्था, मथुरा –सदस्य
7. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी, क्वालिटी एश्योरेंस –सदस्य
8. इम्पेनल्ड शल्य चिकित्सक (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित) – सदस्य
9. एक गैरसरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ इम्पेनल्ड (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित) – सदस्य
10. एक सरकारी शल्य चिकित्सक, इम्पेनल्ड (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित) – सदस्य

समिति द्वारा लिये गये निर्णय निम्नवत् है–

1. कमेटी सदस्यों द्वारा एक्रीडिटेड चिकित्सालयों/नर्सिंग होमो का समय–समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करें।
2. नॉन परफार्मर चिकित्सालयों/नर्सिंग होमो की समीक्षा एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
3. बी0एल0 तिवारी मैमोरियल, अस्पताल के संचालक को निर्देशित किया गया की वे परिवार कल्याण सेवाऐं देना सुनिश्चित करें।
4. [illegible] के अन्तर्गत अस्पतालों द्वारा किये गये कार्यो के भुगतान हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी चिकित्सा इकाईयों पर गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान की जावे।
6. कमेटी द्वारा एक्रीडिटेड अस्पतालों में क्लाईन्ट रिकार्ड के रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
7. समिति द्वारा जनपद की समस्त चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य इकाईयों के अधीक्षकों एवं प्रभारियों को निर्देशित किया गया की जनपद की परिवार कल्याण सेवाओं के गुणात्मक एवं संख्यात्मक में सुधार करते हुए जनपद की परिवार कल्याण की प्रगति में अधिक से अधिक सहभागिता करें।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, द्वारा एक्रीडेशन कमेटी को एक्रीडेशन हेतु लम्बित चिकित्सालयों/नर्सिंग होम का भौतिक सत्यापन करने एवं एक्रीडेशन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
9. परिवार कल्याण सेवाऐं लेने वाले लाभार्थियों को भुगतान नसबन्दी उपरान्त तत्काल एकाउन्ट पेई चैक द्वारा किया जावे।
10. परिवार कल्याण सेवाओं हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों/नर्सिंग होम प्रत्येक माह की 20 तारीख तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना (रिपोर्ट) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के परिवार कल्याण कार्यक्रम के ए0आर0ओ0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मथुरा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मथुरा

Quality eso......